

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता : बंदी विजय पुत्र श्री राधेश्याम
आर.टी.आई कम्प संख्या : 11047-आई दिनांक 29/09/2023
अपील कम्प संख्या : 74 दिनांक 02/11/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-प्रथम (कारागार मुख्यालय), तिहाड़ के द्वारा प्रदान किये गये उत्तर दिनांक 18/10/2023 और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले गए निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक- प्रथम (कारागार मुख्यालय), तिहाड़ द्वारा प्रदान की गई जानकारी संतोषजनक है। अतः प्रदान किए गए उत्तर में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।


उप महानिरीक्षक कारागार/
प्रथम अपीलीय अधिकारी

बंदी विजय पुत्र श्री राधेश्याम

F10(3476489)/11047-I/CJ/Legal/2023/71641/8585- Dated: 21/11/2023
86

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक- (प्रथम) कारागार मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.